मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

विश्वविद्यालय में भर्ती की जाँच करेंगें लोकायुक्त

कुलाधिपति श्री कल्याण सिंह ने दिए जाँच के आदेश

राज्य के इतिहास में विश्वविद्यालयों में लोकायुक्त से जाँच का पहला मामला

—

जयपुर,11 अगस्त। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कल्याण सिंह ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में बायोटेक्नोलोजी विभाग में प्रोफेसर के पद पर हुई भर्ती की जाँच लोकायुक्त को सौंप दी है।

विश्वविद्यालय में अभी हाल ही में बायोटेक्नोलोजी विभाग में प्रोफेसर के पद पर डॉ. राजेश कुमार दुबे की नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति के सम्बन्ध में शिकायतें थी कि श्री दुबे का ए.पी.आई. स्कोर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड़ों से कम है साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा 'आउटस्टेण्डिंग केटेगरी' में नियुक्ति हेतु भी कोई मापदण्ड स्थापित नहीं थे। इनकी नियुक्ति की प्रक्रियाओं में तमाम अनियमित्ताओं की शिकायतें थी। पूर्व में श्री दुबे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर से अनापत्ति प्रमाणपत्र के अभाव, व बिना इस्तीफे दिये और कार्यभार मुक्त हुए बगैर सुखाडिया विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण कर लिया ।

लोकायुक्त करेंगे जाँच

भर्ती में हुई तमाम अनियमित्ताओं के संबंध में सुखाडिया विश्वविद्यालय के कुलपति से भी स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया परन्तु समस्त परिस्थितियों में प्रकरण को **राज्यपाल ने अत्यन्त गंभीर प्रकृति का मानते हुए मामले कि जाँच लोकायुक्त से करवाने का निर्णय लिया है। राज्य के विश्वविद्यालयों के किसी भी मामले में लोकायुक्त से जाँच करवाने का कदाचित यह पहला मामला है।** राज्यपाल ने लोकायुक्त से अपेक्षा कि है वे इस नियुक्ति प्रक्रिया में हुई अनियमित्तताओं की विस्तार से जाँच करें तथा नियुक्ति के संबंध में यूजीसी के नियमों के तहत व विश्वविद्यालय के अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों को गहराई से देखें।

पारदर्शिता एवं प्रमाणिकता पर विशेष बल

राज्यपाल श्री सिंह सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता एवं प्रमाणिकता पर विशेष बल दे रहे है। उनकी इस पहल के अच्छे परिणाम भी आ रहे है। श्री सिंह चाहते है कि विश्वविद्यालयों में विशेष रूप से नियुक्ति में पूर्णतया निष्पक्षता एवं पारदर्शिता होनी चाहिए।

जाँच की अधिसूचना जारी

राज्यपाल के लोकायुक्त से परामर्शोपरांत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हुई इस अनियमित्तता की जाँच की अधिसूचना संख्या एफ.6(11)कार्मिक/क–3/शि/18 दिनांक 10.08.2018 के द्वारा कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव के स्तर से जारी कर दी गई है।

राजकीय विश्वविद्यालयों पर राज्यपाल की पैनी नजर

हाल ही में अन्य मामलों में भी राज्यपाल द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमित्तताओं के सम्बन्ध में गंभीर कदम उठाए गए है। राज्यपाल श्री कल्याण सिंह प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली पर पैनी नजर रखे हुए हैं। वे विश्वविद्यालयों में पक्षपातपूर्ण और पारदर्शी वातावरण चाहते हैं।

———

डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा
सहायक निदेशक (जनसम्पर्क),
राज्यपाल, राजस्थान